Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:20 Issue:1 January 2020

शैक्षिक विकास में बाल शिक्षा के अधिकार का एक अध्ययन

Jane Alice Minz
Research Scholar, Kalinga University Raipur, Chhattisgarh
Dr. Usha Baxi
Professor, Kalinga University Raipur, Chhattisgarh

सारांश

शिक्षा को ऐसे विविध और गतिशील समाजों में सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में आगे की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, शिक्षा और समाज के बीच संबंध पारस्परिक हैय कभी–कभी समाज शिक्षा में परिवर्तन को प्रभावित करता है, और अन्य शैक्षिक प्रणाली के माध्यम से समाज में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और मूल्यों में, सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन सामाजिक भूमिकाओं की प्रकृति और सामाजिक मूल्यों में सामाजिक जुड़ाव को सीधे प्रभावित करेंगे। एक मूल्य के रूप में समानता की मान्यता, उदाहरण के लिए, आखिरकार 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं के विस्तार और पिछड़े शिक्षा के लिए वित्तीय और अन्य सहायता के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से विस्तारित शिक्षा का आनंद लेने की अनुमति देगा। सुविधाएं। शैक्षिक प्रणाली की प्रमुख भूमिका नई पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत का संचार करना है। एक व्यवसाय को सभ्य राष्ट्र में बदलने में शिक्षा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय संचालन के हर क्षेत्र में यह देश के विकास को गति देता है। यह व्यक्तियों के लिए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षण को बढ़ाने में एक श्गुणकश के रूप में कार्य करता है। यह एक व्यक्ति को अन्य अधिकारों के लाभों को सत्यापित करने में मदद करता है। इसमें सभी कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार निहित हैं। एक स्थिर संस्कृति में, हालांकि, विकासशील संस्कृतियों में, वे पीढ़ी–दर–पीढ़ी विकसित होते रहते हैं और ऐसे समाज की शिक्षा प्रणाली को न केवल सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करना चाहिए, बल्कि किसी भी संभावित बदलाव के लिए युवा लोगों को तैयार करने में भी मदद करनी चाहिए। समकालीन समाजों में, ष्संक्रमण का अनुपात जिसका अनुमान लगाया गया है या जो कि जानबूझकर विकास के अप्रत्यक्ष प्रभावों का परिणाम है, पिछले अवधि की तुलना में कहीं अधिक है।"इन सभी परिवर्तनों के लिए शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव की आवश्यकता है। प्रारंभ में, संविधान सभा ने शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं बनाया था, यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रदान की गई थी, जो

Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:20 Issue:1 January 2020

हालांकि कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं होती हैं, लेकिन देश के शासन में इसे मौलिक बनाया जाता है और इसे बनाया गया है। राज्य का एक कर्तव्य कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना है।

मुख्यशब्द: संविधान सभा, अधिकार, बच्चों की शिक्षा, मौलिक अधिकार

प्रस्तावना

शिक्षा समाज को सभ्य राष्ट्र में बदलने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह राष्ट्रीय गतिविधि के हर क्षेत्र में देश की प्रगति को तेज करता है। यह सभी व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के अधिकारों को बढ़ाकर एक गुणक के रूप में कार्य करता है। यह एक व्यक्ति को अन्य अधिकारों से प्राप्त लाभों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। यह 'अन्य मानवाधिकारों को अनलॉक करने और उनकी सुरक्षा करने की कुंजी है।' यह सभी नागरिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतीक है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और न ही इसे पीछे छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह पूरे देश की प्रगति को बाधित करेगा। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह यह कर सके कि नागरिकों के हर वर्ग को शिक्षित किया जा सके, जिन्हें दूसरों के साथ–साथ आगे बढ़ने में मदद की जरूरत है। हालाँकि हमारे पास शिक्षा के अधिकार पर इतने सारे प्रावधान और नीतियां हैं, फिर भी हम इस अधिकार को हासिल करने में विफल रहे हैं क्योंकि यह अधिकार पहले से ही हमारे संविधान निर्माताओं ने पूर्व निर्धारित समय में लागू किया था। स्वतंत्रता के बाद से, लक्ष्य अभी तक शैक्षिक पिछड़ेपन और गरीबी में प्रतिबिंबित नहीं हुआ है, विशेष रूप से समाज के कुछ समूहों के बीच जिन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना किया है। शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की शिक्षा, मानव प्रकृति के कई चेहरे, शिक्षा के विभिन्न स्तर, जटिल वातावरण, दर्शन के विभिन्न स्कूल और विभिन्न विचारधाराओं के कारण लक्ष्यों की बहुलता द्वारा निर्देशित किया जाता है। शिक्षा एक सीमित उद्यम नहीं है। इसे केवल कुछ ही उद्देश्यों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह अपनी जिम्मेदारी को तभी पूरा कर सकता है जब वह कभी विस्तार के उद्देश्य से संचालित हो। इसकी असीम उपलब्धियां केवल तभी संभव हैं जब यह व्यापक संभावित उद्देश्यों द्वारा निर्देशित हो। शिक्षा का उद्देश्य आधुनिक, दृष्टि उन्मुख, भविष्यवादी, स्पष्ट कट और यथार्थवादी होना चाहिए। हम जिस चीज का लक्ष्य रखते हैं और जिसे हम समझते हैं, उसके बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। शिक्षा के तत्काल और अंतिम उद्देश्यों के बीच संतुलन की आवश्यकता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैंरू व्यक्ति का उसकी रुचियों, योग्यता और क्षमताओं के अनुसार इष्टतम विकास, उसकी शारीरिक

और मानसिक क्षमताओं का विकास, अच्छी आदतों, जीवनशैली और चरित्र का विकास, सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व, उदार और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना और प्रगति, समृद्धि और आधुनिकीकरण के लिए दृढ़ संकल्प की भावना पैदा करना।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के जवाब में शिक्षा उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि यह समाज की आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है। किसी भी समाज की शैक्षिक प्रणाली उसकी कुल सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होती है। यह एक सबसिस्टम है जो ऑन–गोइंग सोशल सिस्टम के लिए कुछ कार्य करता है। कुल सामाजिक प्रणाली के लक्ष्यों और जरूरतों को उन कार्यों में परिलक्षित होता है जो इसे शैक्षिक प्रणाली के लिए नीचे देता है और जिस रूप में इसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए संरचना करता है। एक स्थिर समाज में, शैक्षिक प्रणाली का मुख्य कार्य सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाना है। लेकिन एक बदलते समाज में, ये पीढ़ी–दर–पीढ़ी बदलते रहते हैं और ऐसे समाज में शैक्षणिक व्यवस्था को न केवल सांस्कृतिक विरासत का संचार करना चाहिए, बल्कि युवाओं को उनमें होने वाले किसी भी बदलाव के लिए समायोजन के लिए तैयार करने में मदद करनी चाहिए या हो सकती है। भविष्य में होने की संभावना है। समकालीन समाजों में, ष्परिवर्तन का अनुपात जो या तो योजनाबद्ध है या जानबूझकर नवाचारों के माध्यमिक परिणामों से जारी होता है, जो पूर्व समय की तुलना में बहुत अधिक है।" यह उन समाजों में अधिक है जो नए स्वतंत्र हो गए हैं और एक विकासशील चरण में हैं। नतीजतन, ऐसे आधुनिक जटिल समाजों में, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एजेंट बनने का एक अतिरिक्त कार्य करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार, शैक्षिक प्रणाली और समाज के बीच का संबंध आपसी हैय कभी–कभी समाज शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन को प्रभावित करता है और अन्य समय में समाज में परिवर्तन को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मूल्यों में हो सकता है। परिवर्तन सामाजिक मूल्यों में हो सकते हैं जो सीधे सामाजिक भूमिकाओं और सामाजिक संपर्क की सामग्री को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक मूल्य के रूप में समानता को अपनाने से अंततः अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा हो सकती है, चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने और उन्हें सक्षम करने के लिए पिछड़े वर्गों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विस्तारित शैक्षिक सुविधाओं का सामाजिक परिवर्तन 'संस्थागत' हो सकता है जिसमें संगठन, भूमिका और भूमिका सामग्री जैसे अधिक निश्चित संरचनाओं में परिवर्तन शामिल है। भारत में लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार को अपनाने से मतदाताओं के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी नागरिकता

का प्रशिक्षण आवश्यक हो गया है। यह अंततः शैक्षणिक संस्थानों के साथ–साथ शिक्षक–सिखाया रिश्तों में सामग्री और शिक्षण की विधि को प्रभावित कर सकता है। परिवर्तन जनसंख्या के आकार और संरचना में हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, सामाजिक–आर्थिक समूहों और आयु समूहों में अंतर की दर के साथ जनसंख्या का विस्फोट शैक्षिक प्रणाली में कई बदलावों की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न सामाजिक–आर्थिक वर्गों से संबंधित, विभिन्न प्रकार की बुद्धि और शैक्षिक आकांक्षाओं वाले छात्र, एक ही प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में आने लगे हैं और एक ही कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। इन सभी परिवर्तनों को शैक्षिक प्रणाली में परिवर्तन की भी आवश्यकता है।

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) विधेयक

विधेयक में अपने स्पष्ट और प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि 6 से 14 वर्ष के बीच के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है (जो कि), (इ) अनिवार्य, (ब) न्यायसंगत गुणवत्ता, (घ) पुष्टि और (डी) पड़ोस में उपलब्ध है। यह शिक्षा ग्रेड I से VIII के बीच उपलब्ध होगी। राज्य बिल के कार्यान्वयन के तीन साल के भीतर प्रत्येक बच्चे के पड़ोस में एक स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। अनुपलब्धता के मामले में, मुफ्त परिवहन या मुफ्त आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक स्कूल बिल में परिभाषित कुछ न्यूनतम मानकों के अनुरूप होगा।

☐ सरकारी स्कूल सभी प्रवेशित बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। विधेयक में पड़ोस के कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में सीटों के 25: आरक्षण का प्रावधान है, सरकार इन सीटों पर सरकारी स्कूलों में प्रति बच्चे के खर्च या स्कूल शुल्क, जो भी कम हो, के लिए सरकारी दर पर धन की प्रतिपूर्ति करेगी।

☐ राज्य के स्कूल और पूरी तरह से सहायता प्राप्त स्कूल सभी प्रवेशित बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। आंशिक रूप से सहायता प्राप्त स्कूल कम से कम 25 प्रतिशत तक भर्ती बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएंगे, ताकि सरकार उनके वार्षिक खर्चों को कम से कम 25: कर सके। बिना मान्यता प्राप्त स्कूल और विशेष श्रेणी के स्कूल कम से कम 25: छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। 7–9 वर्ष के गैर–पंजीकृत बच्चों को अधिनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर आयु–उपयुक्त ग्रेड में भर्ती होने का अधिकार है, और 9–14 वर्ष की आयु समूह को विशेष कार्यक्रम प्रदान करने का अधिकार है उन्हें तीन साल के भीतर इस तरह के ग्रेड में शामिल होने में सक्षम करेगा।

☐ Schoolसभी राज्य और सहायता प्राप्त स्कूलों में कम से कम 75: सदस्य माता–पिता / अभिभावक और अन्य सदस्य होते हैं, जो शिक्षकों, समुदाय और स्थानीय प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एसएमसी स्कूल का प्रबंधन करेंगे, जिसमें शिक्षकों की छुट्टी और वेतन की छूट शामिल है। एसएमसी / स्थानीय प्राधिकरण में शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन करने और मामूली सजा देने की शक्ति भी होगी।

☐ "ध्यान गुणवत्ता, सुविधाओं और शिक्षण सामग्री पर अधिक होगा।" प्रत्येक स्कूल को 40रू01 के शिष्य अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता है। सुविधाओं और शिक्षण स्टाफ के संबंध में शहरी–ग्रामीण विभाजन को कम किया जाएगा। यह अन्य बातों के अलावा स्कूल के काम के दिनों और शिक्षक के काम के घंटों को भी निर्दिष्ट करता है। यह बच्चों को शारीरिक दंड और शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण पर प्रतिबंध लगाता है।

कोई व्यक्ति किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा में भाग लेने से नहीं रोकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को उस तरीके से नियुक्त या संलग्न नहीं करेगा जो उसे काम करने वाले बच्चे को प्रदान करता है।

सरकार का अर्ध शिक्षा का अधिकार विधेयक

केंद्र सरकार ने बिल से अपने हाथ धो लिए, इसके बजाय जुलाई 2006 में राज्यों को शिक्षा का अधिकार विधेयक पर एक मॉडल भेजा, जिसमें राज्य सरकारों को अपने स्वयं के कानूनों का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया। लंबे समय से लंबित शिक्षा के अधिकार विधेयक (आरटीई) को छोड़ने और इसे राज्य सरकारों को एक मॉडल विधेयक के रूप में पारित करने का निर्णय एक पूरी तरह से चौंकाने वाला निर्णय था, जो न केवल एक मौलिक अधिकार बल्कि प्रत्येक नागरिक की वास्तविक अपेक्षाओं को भी नजरअंदाज करता है। वित्त की कमी बिल को खंगालने का एक वैध और विश्वसनीय कारण नहीं था, यूपीए सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम ने शिक्षा के लिए जीडीपी का 6: वादा किया था। वर्ष 2004–05 में सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के वित्तपोषण के लिए 2: शिक्षा उपकर के माध्यम से रु। 5,010 करोड़ का अतिरिक्त संग्रह किया गया था, लेकिन इस उद्देश्य के लिए केवल रु। 20,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च किए गए थे। कुछ उदाहरणों से संकेत मिलता है कि सरकार ने अन्य प्रयासों को प्राथमिकता दी है, जो कि मौलिक अधिकार नहीं हैं, शिक्षा पर, इसलिए, धन की कमी एक ठोस कारण नहीं है, अतिरिक्त संसाधन जुटा सकते हैं। बिल के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि इस बिल में। सक्षम प्राधिकारी ',' स्थानीय प्राधिकरण 'और मक

अधिकार प्राप्त अधिकार' जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सामान्य और प्रतीत होने वाले सहज वाक्यांशों का उपयोग किया गया था। यह सरकारी मशीनरी के बारे में एक अस्पष्ट प्रकृति को दर्शाता है जो बिल में किए गए प्रावधानों को लागू करेगा और प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल के लिए जगह छोड़ देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिदृश्य विशेष रूप से खराब है और सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब हैं। अभी भी कोई उचित कानून या विधायी ढांचा नहीं है जो सभी को ष्समान गुणवत्ताष् के साथ षशिक्षा का अधिकारष् प्रदान करे।

शिक्षा के अधिकार के नुकसान

- यदि अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करने में विफल रहते हैं तो कोई विशिष्ट दंड नहीं है।
- सरकार और स्थानीय प्राधिकरण दोनों का कर्तव्य है कि वे मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें।
- इस कर्तव्य को साझा करने से न तो सरकारों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है
- विधेयक में स्कूली शिक्षा और भौतिक बुनियादी ढांचे के अधिकार का प्रावधान है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि बच्चे सीखते हैं। यह सरकार को किसी भी परिणाम से छूट देता है यदि वे विशिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निजी स्कूलों में सीटों के आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है।
- अल्पसंख्यक स्कूलों को इस विधेयक में प्रावधानों से छूट नहीं है। यह संभव है कि यह संविधान के अनुच्छेद 30 के साथ संघर्ष करेगा, जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अनुमति देता है।
- बिल बहु–ग्रेड शिक्षण की प्रथा को वैधता प्रदान करता है। शिक्षकों की संख्या ग्रेड के बजाय छात्रों की संख्या के आधार पर होगी।

राज्य और केंद्र की शिक्षा जिम्मेदारी

'शिक्षा' सूची II (राज्य सूची) में रखी गई प्रविष्टि 11 में एक राज्य विषय था। संविधान (42 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार, उपरोक्त प्रविष्टि को हटा दिया गया था और सूची प्प् समवर्ती सूची में एक नई प्रविष्टि 25 डाली गई थी। प्रवेश 25 में तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें प्रविष्टियां 63,64,65 और सूची I के 66 के प्रावधानों के अधीन हैंय श्रम का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण। स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि ष्कृषि और शिक्षा देश के लिए वांछित सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों की दिशा में तेजी से प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैष्

शिक्षा का विकेंद्रीकरण

पंचायती राज निकायों के रूप में संवैधानिक प्राधिकरण का नया तीसरा स्तर, वस्तुतः संविधान (73 वां संशोधन) और संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम 1992 द्वारा बनाया गया है। ये अब संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत सक्षम हैं जैसे निकायों के लिए निकाय प्रदान करते हैं। जिला नियोजन समितियाँ और महानगर नियोजन समितियाँ, कुछ अन्य विषयों के अलावा, शिक्षा की योजना और प्रशासन से निपटने के लिए। इस प्रकार शिक्षा अब लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के तीन स्तरों पर केंद्र, राज्य और जिलों में एक समवर्ती विषय बन जाती है।

इस प्रकार जिला स्तर पर शिक्षा को विकेंद्रीकृत करने के लिए दिए गए 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन सिर्फ एक कदम है। इन विचारों को गतिविधियों की वास्तविकता में किया जाना चाहिए और स्थानीय स्व–सरकारी संस्थानों या पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) की शक्ति और भागीदारी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना चाहिए। ।दक३ वें और वि४ वें संशोधन अधिनियम (पंचायत राज अधिनियम) १ ९९ २ के अधिनियमित के साथ, अब ध्यान जिला, उप–जिला, पंचायत और नगरपालिका स्तरों पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकायों पर है। इन पंचायत राज निकायों, जिनमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, माता–पिता, शिक्षाविदों, और उपयुक्त संस्थानों के प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, के पास विकास योजनाओं को तैयार करने और शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी होगी, इसके अलावा उन लोगों के साथ निकटता से निपटने के लिए शिक्षा से संबंधित है जैसे स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और महिला और बाल विकास। पंचायत राज अधिनियम, 1992

एक गाँव या गाँवों के समूह के लिए पंचायतों के गठन की परिकल्पना करता है। इन पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। प्रत्येक पंचायत एक ग्राम शिक्षा समिति का गठन करेगी, जो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगी। VECs की प्रमुख जिम्मेदारी गाँव में सूक्ष्म स्तर की योजना और स्कूल मैपिंग के माध्यम से व्यवस्थित रूप से घर सर्वेक्षण और माता–पिता के साथ आवधिक चर्चाओं के संचालन में होगी। प्रत्येक परिवार में प्रत्येक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना ग्राम शिक्षा समितियों के प्रमुख उद्देश्यों में से एक होगा। इसने पंचायत राज संस्थाओं के लिए अधिक गतिशील और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन गतिविधियों को करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संस्थागत व्यवस्था विकसित करें।

शिक्षा नीतियां और योजनाएं

कोठारी आयोग की रिपोर्ट के साथ ही संसद सदस्य की समितियों की रिपोर्ट, राष्ट्रीय शिक्षा पर नीति (एनपीई) पर एक प्रस्ताव 24 जुलाई, 1968 को सरकार द्वारा जारी किया गया था जिसे शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति माना गया था आजाद भारत में। भारत सरकार आश्वस्त थी कि शिक्षा आयोग द्वारा अनुशंसित व्यापक लाइनों पर शिक्षा का एक कट्टरपंथी पुनर्निर्माण देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए और समाज के समाजवादी पैटर्न के आदर्श को साकार करने के लिए आवश्यक था। शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय सेवाओं और विकास के लिए चरित्र और क्षमता के युवा पुरुषों और महिलाओं का उत्पादन करना चाहिए। तभी शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने, सामान्य नागरिकता और संस्कृति की भावना पैदा करने और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। यह आवश्यक है, अगर देश को शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर हल्के विचार–विमर्श के साथ राष्ट्रों के समुदाय में अपना सही स्थान प्राप्त करना है, तो एक आम सहमति बन गई थी और सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी।

राज्य की नीतियां और कार्यक्रम

मानव विकास में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, उत्पादकता और व्यावहारिक रूप से उन सभी को बेहतर ढंग से प्रभावित करती है जो जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी हुई हैं। यह संवेदनशीलता और विचारों को परिष्कृत करता है जो राष्ट्रीय सामंजस्य में योगदान करते हैं, एक वैज्ञानिक स्वभाव और मन और आत्मा की स्वतंत्रता इस प्रकार हमारे संविधान में निहित

समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जनशक्ति का विकास करती है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की अंतिम गारंटी होने के नाते यह शोध और विकास भी है। संक्षेप में, शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है। यह कार्डिनल सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा भागीदारी और स्वतंत्रता के लिए एक बुनियादी सक्षम कारक है, जो गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण पर काबू पाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी दुनिया में तेजी से बदलाव और सामान्य रूप से गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। जीवन और गरीबी को कम करने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में शिक्षा की मौलिक भूमिका का एहसास किया और राष्ट्रीय विकास के लिए अपने अद्वितीय महत्व पर बल दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को साक्षरता, सार्वभौमिक शिक्षा की यथोचित मान्यता दी गई। औपनिवेशिक भूमिका के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के समय महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार की और बौद्धिक और मैनुअल काम के बीच सामंजस्य स्थापित किया और एक वैकल्पिक गांव और समुदाय आधारित शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा। यह शिक्षा को लोगों के जीवन के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम था। कई राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 में देश स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल होने के बाद, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे थे। इस संभावना में, भारत सरकार और राज्यों की एक प्रमुख चिंता राष्ट्रीय प्रगति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में शिक्षा पर ध्यान देना था।

शिक्षा की प्रणाली का उस दर पर एक प्रभावकारी प्रभाव है जिस पर आर्थिक प्रगति हासिल की जाती है और इससे होने वाले लाभ से वंचित किया जा सकता है। आर्थिक विकास स्वाभाविक रूप से मानव संसाधनों पर बढ़ती मांग करता है और एक लोकतांत्रिक स्थापना में यह उन मूल्यों और दृष्टिकोणों के लिए कहता है, जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षा राष्ट्र के नियोजित विकास का एक बुनियादी महत्व है। शिक्षा तंत्र को उन विशिष्ट कार्यों के लिए तैयार किया जाना चाहिए जो राष्ट्र स्वयं को निर्धारित करता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में, आवश्यक दर पर उपयुक्त गुणवत्ता के व्यक्तिगत उपलब्ध कराया जा सके। शिक्षा प्रणाली का सामाजिक नीतियों के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति पर एक अंतरंग असर भी है क्योंकि यह मुख्य रूप से जनशक्ति की गुणवत्ता और समुदाय की सामाजिक जलवायु को निर्धारित करता है।

निष्कर्ष

बच्चों के लिए शिक्षा शायद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि मानव जीवन चक्र के लिए आवश्यक है कि कम उम्र में बुनियादी दक्षताओं और जीवन कौशल को हासिल किया जाए। अब, यह देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह अनिवार्य कानून हमारे देश में बड़ी संख्या में बच्चों को कवर करने में कितना सफल होगा, जो मुख्य रूप से बाल श्रम और गरीबी के शिकार हैं। केवल विधान इस उपेक्षा को संशोधित नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक द्वारा, किए गए प्रयासों को वांछित, परिणाम प्राप्त करने की मांग की जाती है, ताकि यह केवल कागज पर कानून में परिणाम न हो, जो मुझे विश्वास है कि यह नहीं होगा। शैक्षिक प्रणाली के संबंध में, सरकार को शैक्षिक अवसंरचना पर पैसा खर्च करना चाहिए क्योंकि कॉलेजों में कक्षाएं जरूरत से कम हैं। भारत को आज शिक्षा को नीचा दिखाए बिना अधिक व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। भारत की शैक्षिक प्रणाली अकेले भारतीय स्नातक को विदेशों में अन्य विदेशी स्नातक से आगे रखती है। इसलिए हमें अपने बच्चों को ऐसा माहौल देने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है, जहां तब लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूचि

- बी। आर। अम्बेडकर, कांग्रेस और गाँधी ने अछूतों का क्या किया, (ठाकरे और कम्प।, बॉम्बे, 19 वीं)
- बालुसु वीना कुमारी, दिगुमर्ती भास्कर बी। राव, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, (एपीएच पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली, 2009)
- बीटर, क्लॉस डाइटर। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शिक्षा का अधिकार संरक्षण। (मार्टिनस निहॉफ पब्लिशर्स, 2005)
- एनी बेसेंट, इंडिया बॉन्ड या फ्री, (लंदन फॉरगॉटन बुक्स, 2013)
- ए.एस. अलटेकर, प्राचीन भारत में शिक्षा, (ईशा बुक्स, नई दिल्ली, 2009)
- अमर्त्य सेन इन प्रीफेस, फ्रीडम के रूप में विकास, (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999)
- अनीता पठानिया, कुलवंत पठानिया, प्राथमिक शिक्षा और मध्याह्न भोजन योजना परिणाम, चुनौतियाँ और सिफारिशें, (दीप और दीप प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 2006)

Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:20 Issue:1 January 2020

- आर्थर हॉवेल, ब्रिटिश भारत में शिक्षा 1854 से पहले और 1870–71 में (सरकारी मुद्रण, अधीक्षक, कलकत्ता, 1872 द्वारा प्रकाशित)
- आशा बाजपेयी, भारत में बाल अधिकार (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 2003)
- ठ.छ.वै, भ्पेजवतल वि म्कनबंजपवद पद प्दकपं, 2011 म्कद, (क्वउपदंदज पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली)।
- फहीमुद्दीन, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता, (अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003)
- जे। सी। अग्रवाल विकाश, आधुनिक शिक्षा का विकास और योजना, 9 वां (मकद)। (पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, 2008)
- जेम्स टूली, द ब्यूटीफुल ट्रीरू ए पर्सन जर्नी इन हाउ द वर्ल्ड्स पर्सेंट हाउट एज एज एजिंग थम्ससेल्स, (वाशिंगटन, डीसीरू कैटो इंस्टीट्यूट। (2009)
- ¢चै. चौहान, भारतीय शिक्षा की समस्याएँरू नीतियां, प्रगति और समस्याएं, (कनीक्षा प्रकाशक और वितरक, नई दिल्ली, 2004)
- डी। जे। डी।, मौलिक अधिकारों की व्याख्या और प्रवर्तन, (ईस्टर्न लॉ हाउस प्राइवेट लिमिटेड, 2000)
- दीपक तिवारी प्रभावी शैक्षिक अभ्यास, शिक्षण के आधुनिक तरीकों का विश्वकोश, प्रथम संस्करण (क्रिसेंट पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, 2008)